रजिस्ट्री सं० डी० 221 REGISTERED No. D. 221

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उपखण्ड (i)

PART II—Section 3—Sub-section (i)

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं० 211] नई दिल्ली, शुक्रवार, अगस्त 31, 1973/भाद्र 9, 1895

No. 211] NEW DELHI, FRIDAY, AUGUST 31, 1973/BHADRA 9, 1895

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में रखा जा सके।

Separate paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate compilation

MINISTRY OF AGRICULTURE

(Department of Food)

ORDER

New Delhi, the 31st August 1973

G.S.R. 404(E).—In exercise of the powers conferred by section 19 of the Rice Milling Industry (Regulation) Act, 1958 (21 of 1958), the Central Government hereby directs that the powers exercisable by it under section 5 of the said Act shall, in relation to rice-mills of the huller type in the State of Madhya Pradesh be exercisable also by the Collectors of the districts in that State within their respective jurisdiction.

[No. 9(MP)(1)/97/73-WT. I]

ISHWAR CHANDRA, Jt. Secy.

कृषि मंत्रालय

(खाद्य विभाग)

आदेश

नई दिल्ली, 31 अगस्त, 1973

सा० का० नि० 404 (अ).—धान कुटाई उद्योग (विनियमन) अधिनियम, 1958 (1958 का 21) की धारा 19 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केन्द्रीय सरकार निदेश देती है कि मध्य प्रदेश राज्य में हल्लर प्रकार की धान मिलों के सम्बन्ध में, उक्त अधिनियम की धारा 5 के अधीन उसके द्वारा प्रयोक्तव्य शक्तियां उस राज्य में जिलों के कलक्टरों द्वारा भी अपनी-अपनी अधिकारिता के भीतर प्रयोक्तव्य होंगी।

[सं० 9 (एम पी) (1)/97/73-डब्ल्यू टी-1]

ईश्वर चन्द्र संयुक्त सचिव।

PRINTED BY THE MANAGER, GOVERNMENT OF INDIA PRESS, MINTO ROAD, NEW DELHI AND PUBLISHED BY THE CONTROLLER OF PUBLICATIONS, DELHI, 1973